

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री करण कुमार पिता वासुदेव महतो निवासी ग्राम: कारो , थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कारो और महुलिया, थाना सं: 77 (गैरमजूरवा) खाता सं. 52 के अधीन प्लॉट सं. 442 और ग्राम: महुलिया, थाना सं: 09 (गैरमजूरवा) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 55, कुल रकबा - 2.005 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम कारो , थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कारो और महुलिया, थाना सं: 77 (गैरमजूरवा) खाता सं. 52 के अधीन प्लॉट सं. 442 और ग्राम: महुलिया, थाना सं: 09 (गैरमजूरवा) खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 55, कुल रकबा - 2.005 एकड़ के तहत श्री करण कुमार पिता वासुदेव महतो निवासी ग्राम: कारो, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

Gisani